प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

29 फरवरी 2024

बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन – जनवरी 2024

जनवरी 2024[1] महीने के लिए 41 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से जुटाए गए बैंक ऋण के क्षेत्र-वार अभिनियोजन संबंधी आंकड़े, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अभिनियोजित कुल खाद्येतर ऋण का लगभग 95 प्रतिशत होता है, विवरण I और II में दिए गए हैं।

वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) आधार पर देखें तो, खाद्येतर बैंक ऋण[2] में जनवरी 2024[3] में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह 16.7 प्रतिशत थी।

बैंक ऋण[3] के क्षेत्र-वार अभिनियोजन की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि एक वर्ष पहले के 14.4 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी 2024 में 20.1 प्रतिशत (व-द-व) हो गई।

- उद्योग क्षेत्र को प्रदत्त ऋण जनवरी 2023 के 8.7 प्रतिशत की तुलना में जनवरी 2024 में 7.8 प्रतिशत (व-द-व) बढ़ा। प्रमुख उद्योगों में, 'खाद्य प्रसंस्करण' एवं 'कपड़ा' हेतु प्रदत्त ऋण में वृद्धि (व-द-व) जनवरी 2024 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ी, जबकि 'मूल धातु और धातु उत्पाद', एवं 'रसायन और रासायनिक उत्पाद' की ऋण वृद्धि में गिरावट आई।

- सेवा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में जनवरी 2024 में 20.7 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पहले 21.4 प्रतिशत)। प्रमुख योगदानकर्ताओं में, जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में 'व्यापार' हेतु प्रदत्त ऋण (व-द-व) की वृद्धि में सुधार हुआ जबकि 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)' में गिरावट आई।

- वाहन और अन्य वैयक्तिक ऋणों की वृद्धि में कमी आने की वजह से, वैयक्तिक ऋण की वृद्धि जनवरी 2024 (एक वर्ष पहले 20.7 प्रतिशत) में घटकर 18.4 प्रतिशत (व-द-व) रह गई।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1968

---

[1] आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।

[2] खाद्येतर ऋण के आंकड़े माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार हेतु धारा – 42 विवरणी पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं।

[3] किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर।